फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री शिवलाल माली निवासी बस स्टेण्ड खमनोर तहसील खमनोर जिला राजसमन्द

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द – **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 48/2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 01.07..2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये पत्र क्रमांकः एफ.1 ()सू0अ0,05/2025/447 दिनांक 04.06.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अपीलान्ट का आवेदन पत्र दिनांक 09.04.2025 का सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय को 09.04.2025 को प्राप्त हुआ। आरटीआई आवेदन के बिन्दु संख्या 01 से 04 की जो सूचना अपीलार्थी द्वारा चाही गई उसका संबंध प्रभारी अधिकारी भूमि अवाप्ति अनुभाग से होने से इस कार्यालय द्वारा प्रार्थी अपीलार्थी का आरटीआई आवेदन कार्यालय के जरिये पत्रांक 336 दिनांक 22.04.2025 से संबंधित कार्यालय को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। आवेदन में ईप्सित बिन्दु संख्या 01 से 04 की सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी भूमि अवाप्ति अनुभाग द्वारा पत्रांक 3249 दिनांक 05.05.2025 से पृष्ठ संख्या 21 की सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करवा दी गई, इस कार्यालय के पत्रांक 582 दिनांक 07.05.2025 से सूचना के अधिकार अधिनियम 05 की धारा 7(1) व 7(5) के तहत नियमानुसार शुल्क राशि जमा कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया किन्तु उक्त पत्र की पालना में कोई राशि अपीलार्थी द्वारा जमा नहीं करवाई गई, जिसके अभाव में सूचना इस कार्यालय के रिकॉर्ड में उपलब्ध है। अतः प्रार्थी के आरटीआई आवेदन में बिन्दु संख्या 01 से 04 की सूचना के संबंध में प्रार्थी निश्चित समयावधि शुल्क राशि जमा कराने हेतु पत्र प्रेषित किया। लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के कुल 21 पृष्ठ की सूचना तैयार कर इस कार्यालय के पत्रांक 582 दिनांक 07.05.2025 से नियमानुसार शुल्क राशि जमा कराने हेतु अपीलार्थी को पत्र प्रेषित किया गया। किन्तु उक्त पत्र की पालना में भी	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

[signature]

अपीलार्थी द्वारा कोई राशि जमा नहीं करवाई गई, जिसके अभाव में सूचना इस कार्यालय के रिकॉर्ड में उपलब्ध है। इस संबंध में अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना के लिए नियमानुसार राशि जमा करवा कर सूचना प्राप्त करे।

अतः उक्त अपील को इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)